


तारीख  
रजु

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/1/17

वकील फरीकन उप०। उक्त उक्त कृष्ण लखे दासों के  
निष्पत्ती ५ न्यून मा है। पश्चु आज की तिथि नही  
की गई है। दत्तः दावा वादी अक्षय लखील ०१७२३  
के तहत ग्याजि लिना जाता है। फावकरी केंद्रल अक्षय  
दोकर नम्बर से कम होकर दाखिल पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)